

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 मई 2017—वैशाख 28, शक 1939

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2017

क्रमांक.— 19-7/2017/बारह-1.— खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 53 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-
53. (1) अनाधिकृत उत्खनन एवं परिवहन के लिए शास्ति,— जब भी कोई व्यक्ति इन नियमों के अनुसार न होकर अन्यथा खनिजों का उत्खनन करता है या परिवहन

करता पाया जाता है या जिसकी ओर से ऐसा उत्खनन या परिवहन किया जाए, तो उसे अवैध उत्खनन/परिवहन के लिए एक पक्षकार उपधारित किया जाएगा, तब कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जोकि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का न हो, सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् यदि यह निर्धारित करता है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन कर खनिज का उत्खनन/परिवहन किया गया है तब वह निम्नलिखित रीति में शास्ति अधिरोपित करेगा, अर्थात् :-

(क) प्रथम बार उल्लंघन पर अवैध रूप से उत्खनित/परिवहित खनिज की रायल्टी की न्यूनतम 30 गुना तक शास्ति अधिरोपित की जाएगी, किन्तु यह रूपए दस हजार से कम नहीं होगी।

(ख) द्वितीय बार उल्लंघन पर अवैध रूप से उत्खनित/परिवहित खनिज की रायल्टी की न्यूनतम 40 गुना तक शास्ति अधिरोपित की जाएगी, परन्तु यह रूपए बीस हजार से कम नहीं होगी।

(ग) तृतीय बार उल्लंघन पर अवैध रूप से उत्खनित/परिवहित खनिज की रायल्टी की न्यूनतम 50 गुना तक शास्ति अधिरोपित की जाएगी, परन्तु यह रूपए तीस हजार से कम नहीं होगी।

(घ) चतुर्थ बार या उसके पश्चात् उल्लंघन पर, अवैध रूप से उत्खनित/परिवहित खनिज की रायल्टी की न्यूनतम 70 गुना तक शास्ति अधिरोपित की जाएगी, परन्तु यह रूपए पचास हजार से कम नहीं होगी।

(2) अवैध उत्खनन तथा परिवहन के प्रकरणों में खनिज का राजसात किया जाना - अवैध उत्खनित/परिवहित खनिज को राजसात / उन्मुक्त करने के संबंध में, कलेक्टर

अथवा उसके द्वारा अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का न हो, समुचित निर्णय करेगा। परन्तु जब्त खनिज को तब तक उन्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक ऊपर अधिरोपित शास्ति का संदाय नहीं कर दिया जाता। राजसात करने की स्थिति में, जब्त गया खनिज, राज्य सरकार द्वारा विहित पारदर्शी नीलाम / निविदा प्रक्रिया द्वारा निवर्तित कर दिया जाएगा।

(3) जब्त औजार, मशीन एवं वाहनों आदि को राजसात/उन्मुक्त किया जाना तथा राजसात सामग्री को नीलामी/निविदा द्वारा निवर्तित किया जाना:

(क) अवैध उत्खनन के मामले में, प्रयुक्त औजार, मशीन एवं वाहनों को राजसात/उन्मुक्त करने के संबंध में कलक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जो डिप्टी कलक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का न हो, समुचित निर्णय करेगा। परन्तु जब्त औजार, मशीन, वाहनों एवं अन्य सामग्री को तब तक उन्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक ऊपर अधिरोपित शास्ति का संदाय नहीं कर दिया जाता। राजसात करने की स्थिति में, जब्त की गई सामग्री राज्य सरकार द्वारा विहित पारदर्शी नीलामी/निविदा प्रक्रिया द्वारा निवर्तित कर दी जाएगी।

(ख) बिना कोई अभिवहन पास के उत्खनित/परिवहित करते ले जाने वाले प्रयुक्त वाहनों को राजसात/उन्मुक्त करने के संबंध में, कलक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो डिप्टी कलक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का न हो, समुचित निर्णय करेगा। परन्तु जब्त औजार, मशीन, वाहनों एवं अन्य सामग्री को तब तक उन्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक ऊपर अधिरोपित शास्ति का संदाय नहीं कर दिया जाता। राजसात करने की स्थिति में जब्त की गई सामग्री राज्य सरकार द्वारा विहित पारदर्शी नीलामी/निविदा प्रक्रिया द्वारा निवर्तित कर दी जाएगी:

परन्तु यह कि अभिवहन पास में उल्लिखित अधिक मात्रा में खनिज परिवहन करते पाए जाने पर वाहन को प्रथम तीन बार राजसात नहीं किया जाएगा, परन्तु उपरोक्तानुसार अधिरोपित की गई शास्ति का भुगतान करने के पश्चात् ही उन्मुक्त किया जाएगा। चतुर्थ बार पुनरावृत्ति पर वाहन राजसात करने के लिए दायी होगा।

(4) अनधिकृत उत्खनन/परिवहन के मामलों में कार्रवाई तथा प्रशमन :- जब कोई व्यक्ति इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए खनिजों का उत्खनन/परिवहन करते हुए पाया जाए, तो कलक्टर/अपर कलक्टर/ डिप्टी कलक्टर/जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी/जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी/उप संचालक (खनिज प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा)/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक/प्रभारी अधिकारी (उड़नदस्ता)/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार/नायब तहसीलदार तथा समय-समय पर कलक्टर द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी जो तृतीय श्रेणी कार्यपालिक से अनिम्न पद श्रेणी का न हो, निम्नलिखित रीति में कार्यवाही करेंगे :-

- (क) मौके पर पंचानामा तैयार कर अनधिकृत उत्खनन/परिवहन के प्रकरण का प्रारंभ करना;
- (ख) अनधिकृत उत्खनन/परिवहन से सुसंगत आवश्यक साक्ष्य (जिसमें वीडियोग्राफी सम्मिलित है) एकत्र करना;
- (ग) ऐसे उल्लंघन में गौण खनिज के उत्खनन में प्रयुक्त समस्त औजार, उपस्कर, वाहन तथा अन्य सामग्री अभिग्रहीत कर सके तथा इस प्रकार अभिग्रहीत समस्त सामग्री को उन व्यक्तियों को अथवा पट्टेदार को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके कि कब्जे से ऐसी सामग्री अभिग्रहीत की गई थी, ऐसी सामग्री अभिग्रहीत करने वाले अधिकारी के समाधानप्रद रूप से बचनबंध निष्पादित करने पर कि ऐसे अधिकारी द्वारा जहां एवं जब भी ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, तत्काल प्रस्तुत करेगा:

परन्तु जहां उपरोक्त उप-नियम (3) के अधीन कलक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी जो डिप्टी कलक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का न हो, को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो, तो अभिग्रहीत संपत्ति, कलक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से ही उन्मुक्त की जाएगी।

- (घ) उपरोक्तानुसार उल्लिखित अधिकारी, घटना की जानकारी प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर कलक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी जो कि डिप्टी कलक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का न हो, को मामले की सूचना प्रदान करेंगे।
- (ङ) यदि आवश्यक हो तो उपरोक्तानुसार उल्लिखित अधिकारी, पुलिस सहायता के लिए लिखित में संबंधित पुलिस थाने में निवेदन करेंगे तथा पुलिस अधिकारी ऐसी सहायता उपलब्ध कराएंगें, जैसा कि खनिज के अवैध उत्खनन/परिवहन को रोकने हेतु आवश्यक हो।
- (5) जांचकर्ता अधिकारी के अधिकार तथा शक्तियां – इन नियमों के उल्लंघन में खनिज के अवैध उत्खनन/परिवहन के मामलों में जांच के दौरान जांच अधिकारी को निम्नलिखित अधिकार एवं शक्तियां होंगी, अर्थात् :-
- (क) संबंधित व्यक्ति को कथन अभिलिखित कराने के लिए बुलाना;
- (ख) मामले से संबंधित अभिलेख एवं अन्य सामग्री जब्त करना;
- (ग) संबंधित स्थान में प्रवेश करना तथा मौका निरीक्षण करना;
- (घ) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन जब किसी संज्ञेय अपराध का अन्वेषण कर रहे हों तो पुलिस थाने के प्रभारी के रूप में समस्त शक्तियां निहित हैं; और
- (ङ) सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी व्यक्ति को हाजिर करने या शपथ पर उसका परीक्षण करने या कोई दस्तावेज पेश करने को बाध्य करने की समस्त अन्य शक्तियां निहित हैं।

(6) अवैध उत्खननकर्ता/परिवहनकर्ता द्वारा प्रशमन करने हेतु आवेदन दिया जाना तथा उसका निराकरण - प्रकरण प्रारंभ करने के पूर्व या प्रचलन के दौरान यदि उत्खननकर्ता/परिवहनकर्ता मामले का प्रशमन करने के लिए सहमत हो, तो वह आवेदन पत्र कलक्टर/अपर कलक्टर/डिप्टी कलक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ उप संचालक (खनिज प्रशासन)/ खनि अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा)/सहायक खनि अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (उड़नदस्ता) के समक्ष प्रस्तुत करेगा एवं वह मामले में प्रशमन की कार्यवाही करेगा। परन्तु उल्लंघनकर्ता को प्रशमन का लाभ उठाने के पूर्व यथा निर्धारित राशि जुर्माने के रूप में निम्नानुसार जमा करनी होगी, अर्थात् :-

(क) प्रथम बार उल्लंघन के लिए अवैध उत्खनित/परिवहित खनिज की रायल्टी का 25 गुना या रूपए 10,000/- (दस हजार) जो भी अधिक हो,

(ख) द्वितीय बार उल्लंघन के लिए अवैध उत्खनित/परिवहित खनिज की रायल्टी का 35 गुना या रूपए 20,000/- (बीस हजार) जो भी अधिक हो ; और

(ग) तृतीय बार उल्लंघन के लिए अवैध उत्खनित/परिवहित खनिज की रायल्टी का 45 गुना या रूपए 30,000/- (तीस हजार) जो भी अधिक हो; और

(घ) चतुर्थ बार या उसके पश्चात् उल्लंघन के लिए अवैध उत्खनित/परिवहित खनिज की रायल्टी का न्यूनतम 65 गुना परन्तु यह रूपए 50,000/- (पचास हजार)- से कम नहीं होगा।

प्रशमन होने पर, जब्त खनिज, औजार, मशीनरी एवं अन्य सामग्री निर्मुक्त कर दी जाएगी।

(7) उत्खननपट्टा/व्यापारिक खदान/उत्खनन अनुज्ञा की शर्तों या इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई - यदि खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन की जांच के दौरान जानकारी में यह तथ्य आता है कि किसी पट्टाधारी/ठेकेदार/अनुज्ञाधारी द्वारा स्वीकृत उत्खननपट्टा/व्यापारिक खदान/अनुज्ञा क्षेत्र से रायल्टी का अपवंचन करने के उद्देश्य से, खनिज का लीज क्षेत्र से बाहर विक्रय/परिवहन बिना अभिवहन पास/त्रुटिपूर्ण अभिवहन पास/कोरे अभिवहन पास के द्वारा अथवा जारी किए गए अभिवहन पास में खनिज की मात्रा कम दर्शाते हुए, वाहनों में अधिक मात्रा में खनिज का लीज क्षेत्र से बाहर डिस्पैच/विक्रय किया जा रहा है, तो संबंधित जिले के कलक्टर ऐसे उत्खननपट्टा क्षेत्र/खदान/अनुज्ञा क्षेत्र में खनन संक्रियाएं तत्काल निलंबित भी कर सकेंगे तथा निष्पादित अनुबंध शर्तों के उल्लंघन पर संबंधित उत्खनन पट्टाधारी/ठेकेदार/अनुज्ञाधारी को विधिवत् कारण बताओ नोटिस जारी कर व सुनवाई का अवसर प्रदान कर ऐसा पट्टा/व्यापारिक खदान/अनुज्ञा निरस्त करने की कार्रवाई कर सकेंगे। रायल्टी अपवंचन के उद्देश्य से डिस्पैच की गई/विक्रय की मात्रा का निर्धारण करने के पश्चात् अतिरिक्त रायल्टी वसूल कर सकेंगे:

परन्तु यदि निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि अवैध खनिज परिवहनकर्ता ने पट्टाधारी से अभिवहन पास प्राप्त कर उसमें रायल्टी अपवंचन के उद्देश्य से ओवर राईटिंग या कांट-छांट की है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध खनिज विभाग के अधिकारी/खनि निरीक्षक प्रकरण दर्ज करा सकेंगे।

2. नियम 68 में, उप नियम (5) का लोप किया जाए।

No. 19-7/2017/XII-1.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the State Government, hereby, makes following further amendments in the Madhya Pradesh Minor Minerals Rules, 1996, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules _

1. For rule 53, the following rule shall be substituted, namely:-

"53. (1) **Penalty for un-authorized extraction and transportation.**- Whenever any person is found extracting or transporting minerals or on whose behalf such extraction or transportation is being made otherwise than in accordance with these rules, shall be presumed to be a party to the illegal mining/transportation, then the Collector or any officer authorized by him not below the rank of Deputy Collector shall after giving an opportunity of being heard determines that such person has extracted/transported the minerals in contravention of the provisions of these rules, then he shall impose the penalty in the following manner, namely :-

- (a) on first time contravention, a penalty of minimum 30 times of the royalty of illegally extracted/ transported minerals, shall be imposed but it shall not be less than ten thousand rupees.
- (b) on second time contravention a penalty of minimum 40 times of the royalty of illegally extracted/ transported minerals, shall be imposed but it shall not be less than twenty thousand rupees.

(c) on third time contravention, a penalty of minimum 50 times of the royalty of illegally extracted/ transported minerals shall be imposed but it shall not be less than thirty thousand rupees.

(d) on third time or subsequent contravention, a penalty of minimum 70 times of the royalty of illegally extracted/ transported minerals, shall be imposed but it shall not be less than fifty thousand rupees.

(2) **Forfeiture of minerals in cases of illegal excretion and transportation.-**

In respect of the Forfeiture / discharge of the mineral extracted / transported illegally the Collector or any other officer authorized by him not below the rank of the Deputy Collector shall take an appropriate decision. Provided that seized minerals shall not be discharged till the penalty imposed as above is not paid. In case of forfeiture, the seized mineral shall be disposed of through a transparent auction/ tender procedure as prescribed by the State Government.

(3) **Forfeiture / Discharge of the seized tools, machines and vehicles etc. and disposal of forfeited material through Auction/Tender.-**

(a) In case of illegal extraction, the Collector or any other officer not below the rank of a Deputy Collector, authorized by him shall take an appropriate decision in respect of forfeiture/discharge of tools, machines and vehicles used. Provided that the tools, machines, vehicles and other material so seized shall not be discharged till the penalty imposed as above is not paid. In case of forfeiture, the seized materials shall be disposed of through a transparent auction/tender procedure as prescribed by the State Government.

(b) In respect of Forfeiture/ Discharge of vehicle carrying mineral extracted/ transported without any transit pass the Collector or any other officer not below the rank of

Deputy Collector authorized by him shall take an appropriate decision. Provided that tools, machines, vehicles and other materials shall not be discharged till the penalty imposed as above is not paid.

In case of forfeiture the seized material shall be disposed off through a transparent auction/tender procedure as prescribed by the State Government:

Provided that the vehicle carrying minerals in excess as mentioned in transit pass, shall not be forfeited on doing so for first three times but the vehicle shall only be discharged on payment of penalty as imposed above. On repetition for the fourth time vehicle shall be liable to be forfeited.

(4) Action and compounding cases of un-authorized extraction / transportation:

Whenever any person is found involved extracting/transporting of the minerals in contravention of provisions of these rules, the Collector/ Additional Collector/Deputy Collector/Chief Executive Officer of Zilla Panchayat/Chief Executive Officer of Janpad Panchayat/Deputy Director(Mineral Administration)/Officer in charge (Mining Section)/Assistant Mining officer/Mining Inspector /officer in charge(Flying Squad)/Sub Divisional Officer (Revenue) /Tehsildar/ Naib Tehsildar and any other officer not below the rank of Class-III executive authorized by the Collector from time to time shall proceed to act in the following manner :-

- (a) to initiate case of un-authorized extraction/ transportation by preparing Panchnama on spot;
- (b) to collect necessary evidences (including video-graphy) relevant to un-authorized extraction/transportation;
- (c) to seize all tools, devices, vehicles and other materials used in excavation of miner mineral in such contravention and to handover all material so seized to

the persons or lessee or any other person from whose possession such material was seized on executing an undertaking up to the satisfaction of the officer seizing such material, to this effect that he shall forthwith produce such material as and when may be required to do so:

Provided that where the report is submitted under sub-rule (3) above to the Collector or any other officer not below the rank of a Deputy Collector authorized by him, the seized property shall only be discharged by the order of the Collector or the officer authorized by him.

- (d) officer as mentioned above shall inform the Collector or any other officer not below the rank of Deputy Collector, authorized by him about the incident within 48 hours of coming in to notice of the same.
- (e) officers as mentioned above shall make a request in writing to the concerning police station / seeking police assistance, if necessary and police officer shall provide such assistance as may be necessary to prevent unlawful excavation / transportation of the mineral

(5) Rights and powers of the investigating officer.-

During the investigation of the cases of illegal extracton /transportation of the minerals, in contravention of these rules, the investigation officer shall have the following rights and powers, namely :-

- (a) to call for person concern to record statements;
- (b) to seize record and other material related to the case;
- (c) to enter into place concern and to inspect the same;
- (d) all powers as are vested in an in-charge of a police station while investigation any cognizable offence under Code of Criminal Procedure; and

- (e) all other powers as are vested under Code of Civil Procedure to compel any person to appear or to be examined on oath or to produce any document.

(6) Submitting application by illegal extractor / transporter to compound and its disposal.-

Before initiating or during the operation of the case, if the extractor / transporter is agree to compound the case, he shall have to submit an application of his intention to do so before the Collector / Additional Collector / Deputy Collector / Sub Divisional Officer (Revenue) / Deputy Director (Mineral Administration) / Mining Officer / Officer-in-charge (Mining Section) / Assistant Mining Officer / Officer in charge (Flying Squad) and he shall proceed to compound in the case. Provided that to avail the benefit of compounding the violator shall have to deposit the amount as determined here under as fine, namely :-

- (a) For the first time violation 25 time of royalty of unlawfully excavated / transported minerals or rupees 10,000/- (Ten Thousand) whichever is more,
- (b) For the Second time violation 35 time of royalty of unlawfully excavated / transported minerals or rupees 20,000/- (Twenty thousand) whichever is more.
- (c) For the third time violation 45 time of royalty of unlawfully excavated / transported minerals or rupees 30,000/- (Thirty Thousand) whichever is more, and
- (d) for the fourth time or subsequent violation minimum 65 time of royalty of unlawfully extracted/transported. Provided that it should not be less than rupees 50,000/- (Fifty thousand).

On being compounded, the seized mineral, tools machinery/ and other materials shall be discharged.

(7) Action against contravention of conditions of extract trade quarry/quarry lease/permit or the provisions of this rules:

If during the enquiry of any illegal extraction/ transportation a fact comes into the knowledge that any lease holder/contractor/permit holder, in order to evade the royalty from any sanctioned quarry lease/trade quarry/permit area is involved in dispatching/selling of minerals in excess quantity by showing less quantity of minerals in transit pass/defective transit permit/blank transit permit, then the Collector of the concerned district may suspend the quarrying operation in such quarry lease/trade quarry permit by issuing show cause notice for violating the conditions of the agreement and after providing an opportunity of being heard may cancel the such lease/ trade quarry/ permit. The additional royalty may be recovered after making the assessment of the quantity dispatched or sold in order to evade the royalty:

Provided that during the inspection if it is found that illegal minerals transporter by securing the transit pass from the lease holder in order to evade the royalty has made overwriting or tempered the pass then the officer of the minerals department /Mineral Inspector may registered a case against the person concerned.

2. In rule 68, sub-rule (5) shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर लाल दुबे, सचिव.